आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 335/इंदौर/2023
निर्धारण वर्ष : 2018-19

वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति मर्यादित, शिवपुर, सिवनी मालवा, होशंगाबाद (मप्र)	बनाम	नेशनल फेसलेस एसेसमेंट सेंटर, दिल्ली
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएबीएवी 5239 क्यू PAN- AABAV5239Q		

अपीलार्थी की ओर से	सुश्री निशा लाहोटी, प्राधिकृत प्रतिनिधि
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	01.02.2024
उद्घोषणा तिथि	01.02.2024

आदेश

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2018-19 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), एनएफएसी, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2023 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर, नई दिल्ली बीपीएल-डब्ल्यू(31)(1) द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन विरचित आदेश दिनांक 26.04.2021 से उद्भूत है ।

2. सुनवाई के समय, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन दिनांक 31.01.2024 के माध्यम से निवेदन किया कि निर्धारिती ने विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), एनएफएसी, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश दिनांक 24.05.2023 के विरूद्ध आयकर अपीलीय अधिकरण,

जबलपुर न्यायपीठ के समक्ष भी अपील आ.अ.सं. 121/JAB/2023 दाखिल की है । निर्धारिती का प्रकरण आयकर अपीलीय अधिकरण, जबलपुर न्यायपीठ की अधिकारिता (jurisdiction) के अधीन आता है । अतः निर्धारिती आयकर अपीलीय अधिकरण, जबलपुर न्यायपीठ के समक्ष दाखिल अपील का अनुसरण करना चाहता है तथा वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही हैं । अतः विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने इसे वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया ।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि निर्धारिती को वर्तमान अपील वापिस लिए जाने की अनुमति दी जाती है ।

4. दोनों पक्षों के उपरोक्त निवेदनों की दृष्टि में हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 01.02.2024 को सुनवाई के दौरान उद्‌घोषित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(विजय पाल राव)	(बी.एम. बियाणी)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 01.02.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल